न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––175/2024

प्रविष्टि दिनांक––04.12.2024

1. हरि पुत्र देवकरण जाति गुर्जर ग्राम निवासी महासिंहपुरा उर्फ मजूकड़ा तह0 निवाई
2. केदार पुत्र देवकरण जाति गुर्जर ग्राम निवासी महासिंहपुरा उर्फ मजूकड़ा तह0 निवाई
3. पन्ना पुत्र देवकरण जाति गुर्जर ग्राम निवासी महासिंहपुरा उर्फ मजूकड़ा तह0 निवाई
4. रंगलाल पुत्र देवकरण जाति गुर्जर ग्राम निवासी महासिंहपुरा उर्फ मजूकड़ा तह0 निवाई
5. शंकर पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर ग्राम निवासी महासिंहपुरा उर्फ मजूकड़ा तह0 निवाई

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शर्मा – प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 27/2/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख, न. 9/4 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वाके ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि है। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि की लठ्ठा शीट व मोमिया शीट व आवंटन में दिये गये सुपुर्दगीनामा में नक्शा शीट में जारी शीट के अनुसार पूर्व में नक्शा शीट व उक्त नम्बर की तरमीम सही थी परन्तु वर्तमान नक्शा शीट मोमिया शीट व लठ्ठा शीट एवं सुपुर्दगीनामा के अनुसार नहीं होकर सहवन से गलत हो गयी है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी ने उक्त आशय के सम्बन्ध में अप्रार्थी से शीट दुरूस्त करने करने अनुरोध किया तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने पर ही उक्त शीट को दुरूस्त करने के लिये कहा इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत पूर्व में जारी भू सुधार शीट लठ्ठा शीट एवं मोमिया शीट के अनुसार एवं सुपुर्दगीनामा के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जो रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट साबित है। बिनाय दावा आज से तीन रोज पूर्व उस समय पेदा हुआ जब प्रार्थीगण ने उक्त शीट को दुरूस्त करने के लिए अप्रार्थी से अनुराध किया इस पर अप्रार्थी ने न्यायालय के आदेश के अभाव में शीट दुरूस्त करने से साफ इंन्कार कर दिया तब से बिनाय दावा लगातार चला आ रहा है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा न. 9/4 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वाके ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी तह० निवाई जिला–टोंक भूमि को राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व लठ्ठा शीट एवं मामिया शीट एवं भू सुधार शीट व आवंटन के सुपुर्दगीनामा के आधार पर वर्तमान नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत एंव विधिसंगत प्रतीत होता हैं।

प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, मोमिया शीट की नकल एवं सुपुर्दगीनामा की छायाप्रति संलग्न की गई। जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का गुन्सी से ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। भू0अ0नि0 एवं पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि ग्राम सजिया के ख0न0 9/4 रकबा 0.7588 हैक्टेयर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। ख0न0 9/5 की तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

मुताबिक भू0 सुधार शीट के हो रखी थी परन्तु भू सुधार दर्ज तरमीम का रकबा कम पड़ रहा था जिसको मुताबिक जमाबंदी के अनुसार खातेदार हित में पटवारी के पास उपलब्ध मोमिया शीट (पेपर शीट) में रकबा कम पड़ने के कारण बढ़ा दिया था जिस कारण से वर्तमान मोमिया शीट व भू सुधार का मिलान नहीं हो पाया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र आदेश–6–नियम–17 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रा0पत्र आदेश–6–नियम–17 सपठित धारा 151 सीपीसी को पैरोकार सरकार की सहमति से स्वीकार किया गया। संशोधित आवेदन प्राप्त शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 9/4 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वाके ग्राम सजिया तहसील निवाई जिला टोंक की तरमीम वर्तमान नक्शा शीट में से दुरूस्त किया जाकर पूर्व लट्ठा–शीट एवं भू–सुधार शीट व सुपुर्दगीनामा अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 9/4 में वर्तमान ऑनलाईन शीट के अनुसार नहीं होकर पूर्व लट्ठा–शीट/भू–सुधार शीट अनुसार काबिज काश्त है। वर्तमान ऑनलाईन शीट में प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम जमाबंदी में वर्णित रकबे अनुसार करने से परिवर्तित हो गई है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का गुन्सी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नलम्बर 9/4 की तरमीम सेग्रीगेशन के दौरान कब्जे–काश्त/भु–सुधार शीट अनुसार नहीं क्री जाकर ऑनलाईन शीट में परिवर्तित हो गई है। पत्रावली में उपलब्ध भु–सूधार शीट की नकल एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की तरमीम के अवलोकन से एवं पैरोकार की बहस व रिपोर्ट पटवार हल्का गुन्सी भू.अ.नि. गुन्सी से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 9/4 की तरमीम वर्तमान ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तित कर दी गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पोषणीय प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः रिपोर्ट पटवार हल्का गुन्सी भू.अ.नि. गुन्सी, बहस पैरोकार सरकार के आधार पर न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने शीट तरमीम स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् खसरा नम्बर 9/4 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वाके ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी तहसील निवाई स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 9/4 रकबा 0.7588 हैक्टर भूमि वाके ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी तहसील निवाई की तरमीम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भु–सूधार शीट अनुसार अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(प्रीति मीणा)

उपखण्ड अधिकारी निवाई